झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

JDA JHANSI DEVELOPMENT AUTHORITY

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. (दुर्बल आय वर्ग) एवं एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) के आवासों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन

आवंटन हेतु नियम, शर्तें एवं पात्रता

1. आवास हेतु विवरण पुस्तिका झाँसी विकास प्राधिकरण की बेवसाईट jdaup.in पर निशुल्क उपलब्ध है।
2. पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राधिकरण की बेवसाईट पर Online के माध्यम से जमा किये जायेगें।
3. योजना का सम्पूर्ण विवरण/निर्मित आवासों के निरीक्षण के लिए योजना में निर्मित कार्यालय से कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।
4. आवासों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
5. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।(जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।)
6. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास कहीं भी भूखण्ड अथवा कच्चा या पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
7. आवेदक की वार्षिक आय ई.डब्लयू.एस. आवास के लिये रू. 03 लाख एवं एल.आई.जी. आवास के लिये रू. 06 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण संलग्न करना होगा।
8. ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन उपरान्त ही आवास आवंटित किया जाएगा।
9. आवेदक को आवेदन के साथ रू. 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र (नोटरी) संलग्न करना होगा।
10. उ0प्र0 शासन अथवा झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में यदि कोई अतिरिक्त शुल्क आरोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा। जिस पर आवंटी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
11. विलम्बतम 03 किश्त की धनराशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार उपध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी का होगा।
12. अपूर्ण आवेदन पत्र एवं अर्हता की श्रेणी में न आने वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
13. आवेदकों को आवास आवंटन न होने की दशा में आवंटन की तिथि से 15 दिवस में जमा धनराशि चेक/आर0टी0जी0एस द्वारा वापिस कर दी जायेगी।
14. आवास मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् निबन्धन की कार्यवाही की जायेगी व आवास का कब्जा दिया जायेगा।
15. निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
16. आवंटन की प्रक्रिया शासनादेश सं. 1/2418/आठ-1-14-80विविध/10, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26.08.2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।
17. ऑनलाइन आवेदन के साथ आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ावर्ग/ अनुसूचितजाति/ अनुसूचितजनजाति/ दिव्यांग/वरिष्ठ नागरिक/ विधवा/एकल महिला/ अल्पसंख्यक) का स्वप्रमाणित प्रमाण प्रत्र संलग्न करना होगा।
18. आवास आवंटन होने के पश्चात् पंजीकरण धनराशि को घटाकर आवास मूल्य की अवशेष धनराशि आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने से 03 माह के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
19. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.10.2023 है।
20. अपूर्ण अथवा अधूरे भरे आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण का निर्णय सर्वमान्यहोगा।
22. अधिक जानकारी के लिये प्राधिकरण की बेवसाईट www.jdaup.in एवं प्राधिकरण कार्यालय में कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है।

ओम शान्ति ग्रीन्स

अशोक वैली

अशोक वैली

अशोक वैली

आवास प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण दिनांक 13.9.2023 से शुरू

- चौड़ी सड़के
- पार्क
- जलापूर्ति की सुविधा
- साफ-सफाई की सुविधा
- बिजली की व्यवस्था
- डोर-टू-डोर कलैक्शन

योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम व पता	आवास का प्रकार	आवास की संख्या	पंजीकरण धनराशि (रूपये में)
1	श्री रॉयल सिटी शिवपुरी रोड, झाँसी	अल्य आयु वर्ग (एल.आई.जी.)	03	50,000.00
2	अशोक वैली पता- मौजा मैरी, ग्वालियर-कानपुर बाईपास-NH-27 मुस्तरा स्टेशन, झाँसी	दुर्बल आयु वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	43	25,000.00
		अल्य आयु वर्ग (एल.आई.जी.)	43	25,000.00
3	ओम शांति डेबलपर्स 57, डी. सुन्दर विहार कॉलोनी, झाँसी	दुर्बल आयु वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	04	25,000.00
		अल्य आयु वर्ग (एल.आई.जी.)	03	50,000.00

उपमा पाण्डेय
(सचिव)
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

आलोक यादव
(उपाध्यक्ष)
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी